



**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**Jaipur Branch Office**

पता Manak Bhawan, Prithviraj Road  
Address: C-Scheme-Jaipur|302005  
दूरभाष Phones 01412223282, 83  
फैक्स Fax: 01412223281  
ई-मेल e-mail: jbo@bis.org.in  
वेब web: http://www.bis.org.in

**पंजीकृत पावती सूचना**

हमारा संदर्भ : सी एम/एल - 8400101809

1437

दिनांक -08/08/2017

76

विषय : आई एस 1180 : Part 1 : 2014 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर  
लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 8400101809 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में।

Gaurav Transformers & Electricals,,  
G-12, New RIICO Industrial Area, Ondela Road,,  
□□□□ : Dholpur  
Rajasthan  
328001

महोदय,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है:

**उत्पाद : Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 kVA, 33 kV:Part 1 Mineral oil immersed**

आई एस : IS 1180 : Part 1 : 2014

टाइप/ साइज़/ ग्रेड/ किस्म:

. THREE PHASE, NON-SEALED TYPE, ALUMINIUM WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV) 11 KV, for following ratings:

- (a) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 1 - 25, 63, 100 KVA.  
(b) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2 - 25, 63, 100 KVA

- आपको यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त/अधिकांश उत्पादन पर मानक मुहर लगाएँगे।
- आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सीएम/एल - 8400101809 है जो दिनांक 17/07/2017 से लागू है तथा दिनांक 16/07/2018 तक वैध है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- भा मा ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 6 के उप विनियम (2) के अनुसार आप द्वारा 1000/- रु लाइसेंस शुल्क इस लाइसेंस की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित और आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-04-2017 द्वारा सहमत रु 114000.00 मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि के लिए दिनांक 17/07/2017 से किया जाना है। सेवा कर, जैसा उपयुक्त हो, देय होगा।
- आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं।
- यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।


7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।
8. आपके पत्र दिनांक 07-04-2017 द्वारा आप द्वारा पहले ही स्वीकृत परीक्षण एवं निरीक्षण योजना (एस टी आई) STI/1180(Pt1)/5 Mar 2017 का आपके संगठन द्वारा पूर्णतया एवं सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अंतः उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेशर करनी होगी।
9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज़ में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए। कृपया मानक मुहर के स्टैन्सिल/लेबल/रेटिंग प्लेट का डिजाइन हमसे अनुमोदित कराएँ। अपने उपरोक्त उत्पाद पर मुहरांकन आरंभ करने की अनुमति आपको यह डिजाइन अनुमोदित कराने के बाद ही दी जाएगी।
10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिंगों, स्लाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहेड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहेड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।
11. आपसे अनुरोध है कि अपने उत्पाद पर मानक मुहर लगाने की शुरुआत करने की वास्तविक तिथि से हमें अवगत कराएँ। उस समय परीक्षण और निरीक्षण योजना (एस टी आई) को अपनाने व परीक्षण रिकार्ड के रख रखाव में मदद करने के लिए हमारा निरीक्षण अधिकारी भी उपस्थित रह सकता है।
12. यह लाइसेंस G-12, New RIICO Industrial Area, Ondela Road, Distt.: Dholpur (Rajasthan)-328001 पर स्थित आपकी फैक्ट्री के लिए प्रदान किया गया है। इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों/विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे। यह लाइसेंस अहस्तान्तरणीय है। निर्माण एवं जाँच उपकरणों के लाइसेंसशुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित हपाने की स्थिति में नए परिसर में स्थानान्तरित निर्माण एवं जाँच सुविधाओं का हमारे द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाइसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बन्द करना होगा।
13. आपकी फैक्ट्री के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूने/नमूनों की जाँच रिपोर्ट (टों) की एक प्रति/प्रतियाँ आपके रिकार्ड के लिए संलग्न है।
14. आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सेवादाता इकाई (जहाँ लागू हो) का पता तथा शिकायत की स्थिति में जिस व्यक्ति से संपर्क करना हो, उसका नाम, पदनाम, दूरभाष तथा टेलेक्स/फैक्स/ई-मेल आदि सूचित करें। एक लाइसेंस होने के नाते आपका यह दायित्व है कि घोषित सेवादाता इकाइयों की सूची में होने वाले परिवर्तनों के बारे में आप हमें समय-समय पर सूचित करते रहें।
15. लाइसेंस दस्तावेज संलग्न हैं।
16. आपसे अनुरोध है कि आप संलग्न प्रपत्र सं. सीएमडी/पीएफ 615 पूर्ण रूप से भर कर हमें वापस भेजें।
17. बीआईएस लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारियाँ नामक अनुदेश आपकी सूचना/अनुपालन के लिए संलग्न है। कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

The licence mentioned above is granted on the basis of your earlier undertaking that you will get the varieties that are included by virtue of the grouping guidelines without testing, tested for routine and type tests from any BIS recognized lab before marking the standard mark on those varieties. Use of standard mark on varieties that are covered under the scope of the above mentioned licence before such testing shall be deemed intentional violation of STI and terms and conditions of the licence and suitable action would be taken which may include stoppage of marking and/or cancellation of licence.

सधन्यवाद,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(डी. गोस्वामी)

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख



भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)  
Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल- 8400101809  
LICENCE NO. CM/L - 8400101809

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स गौरव ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स,  
जी-12, न्यू रीको औद्योगिक क्षेत्र, ओनडेला रोड,  
जिला-धोलपुर (राजस्थान)-328001

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करता है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जायेगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। वह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

**M/s Gaurav Transformers & Electricals,  
G-12, New RIICO Industrial Area, Ondela Road,  
Distt.: Dholpur (Rajasthan) - 328001**

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएँ हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में है। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नियत फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 17 जुलाई 2017 से 16 जुलाई 2018 तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीनीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from SEVENTEENTH JULY, TWO THOUSAND SEVENTEEN to SIXTEENTH JULY, TWO THOUSAND EIGHTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार सत्रह के मास के दिन हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित

Signed, Sealed and Dated this 16<sup>th</sup> day of Aug TWO THOUSAND SEVENTEEN

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

( डी. गोस्वामी )  
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख  
( D. Goswami )  
Scientist 'F' & Head

**द्वितीय अनुसूची**  
**THE SECOND SCHEDULE**

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल- 8400101809 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची  
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 8400101809


वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	संदाय की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
<p>थ्री फेज, नॉन सिल्ड टाईप, एल्युमिनियम वाउन्ड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील कोर, नोमिनल सिस्टम वोल्टेज (एचवी) 11किवी, के लिए विभिन्न रेटिंग्स :</p> <p>(अ) एनर्जी एफिसिएन्सी लेबल 1- 25, 63, 100किवीए, (ब) एनर्जी एफिसिएन्सी लेबल 2- 25, 63, 100किवीए,</p> <p>THREE PHASE, NON-SEALED TYPE, ALUMINIUM WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV)11 KV, for following ratings:</p> <p>(a) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 1 - 25, 63, 100 KVA. (b) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2 - 25, 63, 100 KVA.</p>	<p>1 KVA</p> <p>1किवीए</p>	<p>रु.3.00 प्रति इकाई सभी इकाइयों के साथ लागू अवधि के एक वर्ष के लिए रु.114000.00 न्यूनतम मुहरांकन शुल्क सहित</p> <p>Rs.3.00 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs.114000.00 during an operative period of one year.</p>	<p>(क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीनीकरण (नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). (ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए चिन्ह लगाने पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, जयपुर में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Jaipur at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.</p>

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

( डॉ. गोस्वामी)

वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

प्रथम अनुसूची  
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
<p>IS 1180</p>  <p>Part 1</p>	<p>थ्री फेज, नॉन सिल्ड टाईप, एल्युमिनियम वाउन्ड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील कोर, नोमिनल सिस्टम वोल्टेज(एचवी) 11किवी, के लिए विभिन्न रेटिंग्स :</p> <p>(अ) एनर्जी एफिसिएन्सी लेबल 1- 25, 63, 100किवीए, (ब) एनर्जी एफिसिएन्सी लेबल 2- 25, 63, 100किवीए,</p> <p>THREE PHASE, NON-SEALED TYPE, ALUMINIUM WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV)11 KV, for following ratings:</p> <p>(a) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 1 - 25, 63, 100 KVA. (b) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2 - 25, 63, 100 KVA.</p>	<p>आईएस 1180: भाग 1:2014</p> <p>IS 1180: Part 1: 2014</p> <p>बाहरी टाइप तेल तल्लीन वितरण ट्रांसफार्मर 2500 किवीए, 33 किवी सहित तक के लिए - विशिष्टि : भाग 1 खनिज तेल तल्लीन</p> <p>Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 kVA, 33 kV- Specification :Part 1 Mineral oil immersed</p>